

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राज-पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
श्रावण 11, मंगलवार, शाके 1938-अगस्त 2, 2016 Sravana 11, Tuesday, Saka 1938- August 2, 2016		

भाग 1 (ख)
 महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।
 पर्यावरण विभाग
 अधिसूचनायें

जयपुर, जुलाई 28, 2016

संख्या प. 27(31) पर्या./78 पार्ट :- जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 6) की धारा 4 की उप धारा 2 (स) के अंतर्गत स्थानीय निकाय से सम्बन्धित निम्न को तत्काल प्रभाव से राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर का सदस्य मनोनीत किया जाता है :-

1. श्री निर्मल नाहटा, महापौर, नगर निगम, जयपुर।
2. श्री नारायण चौपड़ा, महापौर, नगर निगम, बीकानेर।
3. श्री महेश विजय, महापौर, नगर निगम, कोटा।
4. श्री घनश्याम ओझा, महापौर, नगर निगम, जोधपुर।
5. श्री लोकेश द्विवेदी, उप महापौर, नगर निगम, उदयपुर।

मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष तक के लिए होगा।

जयपुर, जुलाई 28, 2016

संख्या प. 27(31) पर्या./78 पार्ट :- जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 6) की धारा 4 की उप धारा 2 (ब) के अंतर्गत राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में निम्न को तत्काल प्रभाव से राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर का सदस्य मनोनीत किया जाता है :-

1. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन या उनके प्रतिनिधि जो संयुक्त शासन सचिव स्तर से नीचे के न हों।
2. शासन सचिव, पर्यावरण विभाग या उनके प्रतिनिधि जो संयुक्त शासन सचिव स्तर से नीचे के न हों।
3. आयुक्त, उद्योग विभाग या उनके प्रतिनिधि जो अतिरिक्त आयुक्त स्तर से नीचे के न हों।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-3) विभाग।
5. मुख्य अभियंता, (मुख्यालय), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग।

मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष तक के लिए होगा।

जयपुर, जुलाई 28, 2016

संख्या प. 27(31) पर्या./78 पार्ट :- जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 6) की धारा 4 की उप धारा 2 (द) के अंतर्गत बोर्ड/निगम से सम्बन्धित निम्न को तत्काल प्रभाव से राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर का सदस्य मनोनीत किया जाता है :-

1. प्रबंध निदेशक, रीको।
2. प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य खान एवं खनिज निगम।

मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष तक के लिए होगा।

जयपुर, जुलाई 28, 2016

संख्या प. 27(31) पर्या./78 पार्ट :- जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 6) की धारा 4 की उप धारा 2 (क) के अंतर्गत कृषि/उद्योग/मत्स्य/व्यापार/अन्य क्षेत्र से सम्बन्धित निम्न को तत्काल प्रभाव से राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर का सदस्य मनोनीत किया जाता है :-

1. श्री शांति लाल बलार, लघु उद्योग भारती, राजस्थान क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर।
2. श्री अभिषेक शर्मा पुत्र श्री कैलाश शर्मा, 705, ग्रीन हाऊस, अशोक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर।
3. मेजर श्री विकास चौधरी (सेवानिवृत्त), ए-147, गोल बिल्डिंग, विद्युत नगर, जयपुर।

मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष तक के लिए होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,
 आर.के.जैन,
 निर्देशक एवं संयुक्त शासन सचिव।

टिप्पणी:- पर्यावरण विभाग की अधिसूचना दिनांक 28.07.2016 द्वारा गठित राज्य मंडल के बोर्ड में वर्णित सदस्यों का कार्यकाल दि. 27.07.2019 को समाप्त होने के उपरान्त राज्य मण्डल मुख्यालय द्वारा राज्य सरकार को नए सदस्यों को नामित करने हेतु निवेदन किया गया है। अतः वर्तमान में सदस्यों का नामांकन राज्य सरकार द्वारा किया जाना अपेक्षित है।